न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 30 / 2024

उनवान

1. कचरी पत्नि स्व. मगन जाति भील निवासी खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा।
2. गौतम पुत्र रामा जिाति भील निवासी खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा।
3. दीपिका पुत्री मगन जाति भील निवासी खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा।
4. नारायण पुत्र रामा जाति भील निवासी खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा।
5. प्रकाश पुत्र रामा जाति भील निवासी खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा।
6. पारी पत्नि स्व. रामा जाति भील निवासी खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा।
7. रमण पुत्र रामा जाति भील निवासी खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा।
8. राजेन्द्र पुत्र मगन जाति भील निवासी खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा।
9. लक्ष्मी पुत्री मगन जाति भील निवासी खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 21 .5.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य कृषि भूमि वाके ग्राम खेडा पटवार हल्का खेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा मे खाता स्थित हैं। जिसका खाता संख्या नया 345 व पुराना 298 के कुल खसरे 42 कुल रकबा 2.0500 हैक्टर हैं। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण लम्बे समय से उपयोग, उपभोग करता आ रहा हैं। उक्त खाते पर ऋण लिया हुआ हैं जिसका सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है उक्त भूमि पर रहन मुक्त कराने तहसील कार्यालय गढी जाने से पता चला कि खसरा नम्बर 2336 का रकबा 0.00 हैक्टर दर्ज हैं जिससे उक्त खाते मे रहन मुक्त का नामांतरण दर्ज नही हो रहा हैं । एवं उक्त खाते मे सह खातेदार धूला पुत्र हकरा फोत हो चुका है जिसका विरासत का नामांतरण दर्ज भी नही हो रहा हैं। उक्त रकबा 0.00 हैक्टर दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को उक्त खाते से किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है जिस वजह से उक्त खसरा नम्बर को खाते से हटवाना अति आवश्यक है जिस हेतू उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त खाता संख्या 345 व पुराना 298 का खसरा नम्बर 2336 रकबा 0.00 हैक्टर को खाते से हटाए जाने के आदेश फरमायें।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र को धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत् दर्ज किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी से रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने अहकाम जारी किया गया। भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी ने पत्रांकः भू.अ. /2024/628 दिनांक 13.3.2024 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेड़ा के खाता संख्या 345 कुल खसरे 42 रकबा 2.05 हे0 भूमि में से आराजी नम्बर 2336 रकबा 0.00 हे0 हाल जमाबन्दी संवत 2075—78 में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी नम्बर 2336 रकबा 0.00 हे0 होने से प्रार्थीगण के ऑनलाईन नामान्तरकरण दर्ज करने पर तकनिकी समस्या से नामान्तरकरण दर्ज नही हो पा रहा है। प्रार्थीगण के सेटलमेंन्ट से ही जमाबन्दी में उक्त आराजी नम्बर 2336 रकबा 0.00 हे0 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

अनुसार मौके व नक्शें में आराजी नम्बर 2336 रकबा 0.00 हे0 की कोई भूमि दर्ज/आकारशुदा नही है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के प्श्चात् न्यायालय के निर्णय अनुसार रिकार्ड में संशोधन किया जाने का कथन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एंव भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की रिपोर्ट का अवलोकन किया जाने पर ज्ञात आया कि ग्राम खेड़ा की जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता संख्या 345 (नया) 298 (पुराना) में अंकित सर्वे नम्बर 2336 रकबा 0.00 हे0 किस्म–भू.सा.ग.2 को विलोपित किया जाना न्यायोचित होकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एंव भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खेड़ा की जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता संख्या 345 (नया) 298 (पुराना) में अंकित सर्वे नम्बर 2336 रकबा 0.00 हे0 किस्म–भू.सा.ग.2 को विलोपित किया जाकर बाकि बदस्तुर दर्ज करने हेतु भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी को आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21/05/2024 को जारी किया गया।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:12 IST
Reason: SelfAttested